भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2712
(सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट प्रशासन को मजबूत करना

2712. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कारपोरेट अभिशासन संरचनाओं में कामगारों के प्रतिनिधित्व और हितधारकों की भागीदारी को सुदृढ़ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों की कारपोरेट शासन संरचना में सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं। कंपनी अधिनियम 2013, बोर्ड निदेशकों, बोर्ड समितियों तथा शेयरधारकों की बैठकों के माध्यम से निर्णय-निर्माण में भागीदारी का प्रावधान करता है। कारपोरेट शासन संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशकों की भूमिका का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक तथा डाक मतपत्र प्रणाली के माध्यम से सामान्य बैठकों में शेयरधारकों की भागीदारी की भी अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 सूचीबद्ध इकाइयों की कारपोरेट शासन संरचना में हितधारक भागीदारी को सशक्त करने हेतु कारपोरेट गवर्नेंस मानक निर्दिष्ट करते हैं जिसमें हितधारक संबंध समिति के गठन को अनिवार्य करने, निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा वास्तविक चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए सर्तकता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर के निर्माण और सूचीबद्ध इकाइयों के लिए शेयरधारकों संबंधी सभी संकल्पों में शेयरधारकों को ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान आदि शामिल हैं।

****